Online decided
2019/00493

मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फुटे अहकाम
(नियम (26))

आज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम .....

किस्म मुकदमा .....136..... मु० नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/19	तहसीलदार सिकराय द्वारा 136 का प्रकरण पेश किया। प्रा० पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अपार्थीगण कि तलबी कि जाकर पत्रावली दिनांक 05/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	[illegible] राजेश कुमार [illegible] जरीफपुत्र [illegible] [illegible] जरीफपुत्र नवीदा देवी महेश कुमार [illegible] महेश कुमार [illegible] लक्ष्मीनारायण [illegible]
6.12.19	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपार्थी गण स्वयं उपस्थित। अपार्थीगण व पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। सहखातेदारों द्वारा उपस्थित होकर सहमती प्रस्तुत की गई। मुताबिक सहमती पक्षकारान नक्शा इंतकाली फिस पटवारी, यू० आर० व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर इंतकाली रकबे का निबेरन किया है। ऐसी स्थिति में मुताबिक सहमती व नक्शा इंतकाली निर्णय का आज रहेगा। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है विवादित रकबा 187 बीघा ग्राम बामड़ा तह० सिकराय के संबंध डिक्री मुताबिक सहमती व प्रस्तावित नक्शा इंतकाली रकबे के अंदर तहसीलदार सिकराय [illegible]	